रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936
No. 158] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2015

सा.का.नि. 207(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 108 के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"20. **इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान—**(1) इस नियम के प्रारंभ में उपबंध उन साधारण अधिवेशनों के संबंध में लागू होंगे जिनके लिए इस नियम के लागू होने की तारीख को अथवा उसके पश्चात नोटिस जारी की गई हो।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) नियमन, 2009 के अध्याय Xख अथवा अध्याय Xग में उल्लिखित कंपनी से भिन्न कंपनी जिसके किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध साधारण शेयर है या कोई कंपनी जिसके कम-से-कम एक हजार सदस्य है, अपने सदस्यों को साधारण बैठकों में विचार करने हेतु प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पद-

(i) "अभिकरण" से नेशनल सेक्यूरिटीज डिपोजिटिरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटीरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था अभिप्रेत है बशर्ते नेशनल सेक्यूरिटीज डिपोजिटिरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटीरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा

अनुमोदित किसी अन्य संस्था ने मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से स्पष्टीकरण (vi) के अधीन निर्दिष्ट मानकों के अनुपालन सहित प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो;

(ii) "अंतिम तारीख" उस तारीख से वह अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा अथवा साधारण अधिवेशन में मतदान के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु साधारण अधिवेशन की तारीख से कम-से-कम सात दिन पहले हो;

(iii) 'साइबर सुरक्षा' सूचना, उपकरण, युक्ति, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर संसाधन, संचार युक्ति और उसमें भंडारण की गई सूचना की अनाधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, विघटन, परिवर्तन अथवा विनाश होने से सुरक्षित करना अभिप्रेत है;

(iv) "इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली" एक ऐसी रीति से इलेक्ट्रानिक मतपत्र के प्रदर्शन, सदस्यों के मतों को दर्ज करना और पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या दर्शाने वाली 'सुरक्षित प्रणाली' आधारित प्रक्रिया से है कि इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा किए गए संपूर्ण मतदान की पर्याप्त 'साइबर सुरक्षा' के साथ एक केंद्रीकृत सर्वर में इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकरण और गणना की जाए अभिप्रेत है;

(v) "दूरस्थ ई-मतदान" से ऐसा अभिप्रेत है जो किसी सदस्य द्वारा किसी साधारण अधिवेशन के स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली का उपयोग करके मत देने की सुविधा से है;

(vi) 'सुरक्षित प्रणाली' कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रक्रिया से अभिप्रेत है जो –

(क) अनाधिकृत पहुंच और दुरूपयोग से युक्ति युक्त से सुरक्षित है;

(ख) विश्वसनीयता और सही परिचालन का उचित स्तर उपलब्ध कराता है;

(ग) अभिप्रेत कार्यों के निर्वाह में उचित रूप से अनुकूल है; और

(घ) साधारण रूप से स्वीकृत सुरक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन करता है;

(vii) "इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान" "दूरस्थ ई-मतदान" सम्मिलित है जिसमें साधारण अधिवेशन में इलेक्ट्रानिक मत प्रणाली के माध्यम से किया गया मतदान है जिसे दूरस्थ ई-मतदान के लिए उपयोग किया जाए।

(3) कोई सदस्य उपनियम (2) में निर्दिष्ट संकल्पो पर इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और कंपनी इन नियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे संकल्प पारित करेगी।

(4) कोई कंपनी जो अपने सदस्यो को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान करने की सुविधा देती है, को निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, अर्थात्:-

(i) अधिवेशन की नोटिस कंपनी के सभी सदस्यों, निदेशकों और लेखापरीक्षकों को इनमें से एक द्वारा भेजी जाएगी-

(क) रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा; या

(ख) इलेक्ट्रानिक माध्यम से, अर्थात, प्राप्तकर्ता की रजिस्ट्रीकृत ई-मेल आईडी से; या

(ग) कुरियर सेवा द्वारा;

(ii) यह नोटिस सदस्यों को भेजने के पश्चात् कंपनी और अभिकरण की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी रखी जाएगी;

(iii) अधिवेशन की नोटिस में स्पष्ट बताया जाएगा-

(अ) कि कंपनी इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान की सुविधा दे रही है और उसका संव्यवहार ऐसे मतदान द्वारा किया जाएगा;

(आ) कि मतदान, चाहे इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली या मतपत्र या मत दस्तावेज द्वारा हो, की सुविधा अधिवेशन में दी जाएगी और अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मत पहले नहीं दिया है, अधिवेशन में अपने मताधिकार का प्रयोग समर्थ कर सकेंगे।

(ग) कि जिन सदस्यों ने अधिवेशन से पहले दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मत दे दिया है, वे अधिवेशन में भाग ले सकते है किंतु अपना मत पुनः देने का पात्र नहीं होगा;

(iv) नोटिस में –

(अ) इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया और रीति दर्शित जाए;

(आ) समय अवधि, सहित समय अनुसूची जिसके दौरान दूरस्थ ई-मतदान द्वारा मत डाले जाएंगे, का उपदर्शित किया जाए;

(इ) लॉगिन आईडी के बारे में ब्यौरें दिए जाएं;

(ई) पासवर्ड बनाने या प्राप्त करने और सुरक्षित रीति से मतदान करने की सृजित और रीति का विनिर्दिष्ट किया जाए।

(v) कंपनी, नियम 20 के उपनियम (4) के खंड (i) के अधीन अधिवेशन के लिए नोटिस प्रेषित करने के तत्काल बाद किंतु साधारण अधिवेशन की तारीख से कम-से-कम इक्कीस दिन पहले उस जिले, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के प्रांतीय समाचार पत्र, जो उस जिले में व्यापक परिचालित होता हो, में मुख्य प्रांतीय भाषा में कम-से-कम एक बार और देशभर परिचालित होने वाले अंग्रेजी समाचारपत्र में अंग्रेजी भाषा में कम-से-कम एक बार प्रकाशित करेगी और उस विज्ञापन में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विषय निर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) कथन के कारबार का संव्यवहार इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान से किया जा सकेगा;

(ख) दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय;

(ग) दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय;

(घ) निर्णायक तारीख;

(ङ) पद्यति जिसकी रीति नोटिस, प्रेषित करने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करने और सदस्य बनने वाले व्यक्ति लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभिप्राप्त करेंगे;

(च) कथन कि -

(अ) उक्त समय और तारीख के परे दूरस्थ ई-मतदान की अनुज्ञात नही होगी;

(आ) रीति जिसमें कंपनी अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान को प्रदान देगी; और

(इ) कोई सदस्य, दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी साधारण अधिवेशन में भाग ले सकता है किंतु उसे अधिवेशन में पुनः मत देने की अनुज्ञा नहीं होगी; और

(ई) कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या निक्षेपकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लाभप्रद स्वामियों के रजिस्टर में अंतिम तारीख तक अभिरक्षित है, को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा का साथ-साथ साधारण अधिवेशन में मतदान करने का पात्र होगा;

(छ) कंपनी और उस अभिकरण, के वेबसाइट का पता यदि कोई हो, का जहां अधिवेशन की नोटिस प्रदर्शित की गई है; और

(ज) इलेक्ट्रानिक तरीकें से मतदान के लिए सुविधा से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, ईमेल आइडी और टेलीफोन नबंर:

परंतु सार्वजनिक नोटिस कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, के साथ-साथ अभिकरण की वेबसाइट पर रखी जाएगी;

(vi) दूरस्थ स्थानों से ई-मतदान की सुविधा कम से कम तीन दिनों तक खुली रहेगी और साधारण अधिवेशन की तारीख की पूर्व संध्या 5.00 बजे अपराह्न बंद होगी;

(vii) दूरस्थ स्थानों के लिए, ई-मतदान सुविधा जारी रहने की अवधि के दौरान यदि भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य, निर्णायक तारीख की स्थिति के अनुसार, दूरस्थ ई-मतदान विकल्प का उपयोग कर सकते हैं :

परंतु सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर देने के उसे बाद में इसमें परिवर्तन या पुनः मत देने की अनुज्ञात नहीं होगी;

परंतु यह और कि दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम अपना मतदान का उपयोग करने के बाद भी कोई सदस्य साधारण अधिवेशन में भाग ले सकता है किंतु उसे पुनः मत देने की अनुज्ञात नहीं होगी;

(viii) दूरस्थ ई-मतदान अवधि के अंत में, इस सुविधा को बंद कर दिया जाएगा:

पंरतु यह कि यदि कोई कंपनी साधारण अधिवेशन के दौरान, उपयोग में लाई गई दूरस्थ ई-मतदान के समान ही इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली उपलब्ध करने का विकल्प लेता है तो उक्त सुविधा अधिवेशन में सभी संकल्पों पर विचार करने और मतदान हो जाने तक प्रचालन में रहेगी और अधिवेशन में भाग लेने वाले तथा दूरस्थ ई-मतदान द्वारा मताधिकार का प्रयोग नहीं करने वाले सदस्यों द्वारा ही मत के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा।

(ix) निदेशक बोर्ड एक या अधिक संवीक्षकों की नियुक्ति करेगा जो कार्यरत चार्टर्ड अकांउटेंट, कार्यरत लागत लेखाकार या कार्यरत कंपनी सचिव या अधिवक्ता या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है जो कंपनी में नियोजन न हो जो प्रसिद्ध हो और बोर्ड के राय में मतदान और दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से कर सके;

परंतु इस प्रकार नियुक्त संवीक्षक किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं जो कंपनी में नियोजन में ना हो और इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली से भलीभांति परिचित हो;

(x) संवीक्षक नियुक्ति का इच्छुक होना चाहिए और अपेक्षित बहुमत प्रयोजन करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए;

(xi) अध्यक्ष, साधारण अधिवेशन में, संकल्प, जिस पर मतदान किया जाना है, पर विचार-विमर्श के अंत में नियम 21 के उपनियम (1) के खंड (क) से (ज), यथा-उपबंधित, में निर्दिष्ट मतदान की मतपत्र या मत कागजपत्र या उन सदस्यों के लिए जो साधारण अधिवेशन में उपस्थित है किंतु उन्होंने दूरस्थ ई-मतदान सुविधा का प्रयोग करते हुए अपना मत नहीं दिया है के द्वारा संवीक्षकों की सहायता के साथ अनुज्ञात देगा।

(xii) संवीक्षक साधारण अधिवेशन में मतदान के परिणामों के तत्काल बाद पहले अधिवेशन में डाले गए मतों की गणना करेंगे और उसके बाद अधिवेशन समाप्त होने के अधिकतम तीन दिन के भीतर कम-से-कम ऐसे दो साक्षी, जो कंपनी में नियोजन ना हो की उपस्थिति में दूरस्थ ई-मतदान द्वारा मत देना शुरू करेगा, पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि हों तो उसकी समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा, प्रस्तुत करेगा।

परंतु अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति मतदान का परिणाम घोषित करेगा;

स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि पद्यति जिसके अनुसार, सदस्यों ने अपना मत दिया है अर्थात्, संकल्प का प्रतिज्ञान या विरोध करने के लिए गोपनीय रहेंगी और अधिवेशन में मत डाले जाने तक अध्यक्ष, संवीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगी।

(xiii) यह प्रयोजन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अपने दूरस्थ ई-मतदान द्वारा दे दिए हैं, साधारण अधिवेशन में मत न दें, संवीक्षक को दूरस्थ ई-मतदान के लिए अवधि समाप्त होने के पश्चात् और साधारण अधिवेशन शुरू होने से पहले सदस्यों, उनके नाम, फोलियो, शेयरों की संख्या और ऐसी सूचना दी जाएगी जो संवीक्षक के लिए अपेक्षित है, जिन्होंने अपना मत दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाला है किंतु जिसने उस तरीके में नहीं जिससे उन्होंने अपना मत डाला था;

(xiv) संवीक्षक पुस्तिका रूप में या इलेक्ट्रानिक रूप में सम्मति या असम्मति अभिलिखित करने के लिए एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें नाम, पता, फोलियों न. या सदस्यों की आईडी, शेयरों की संख्यां, ऐसे शेयरों का न्यूनतम मूल्य और क्या शेयरों का अंतरीय मताधिकार है, के उल्लेख दिए जाएगें:

(xv) इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान संबंध रजिस्टर और अन्य सभी कागज-पत्र संवीक्षकों के पास अभिरक्षा में रहेंगे जब तक कि अध्यक्ष कार्यवृत्त पर विचार, अनुमोदित और हस्ताक्षर ना करें तथा त्तपश्चात् संवीक्षक कंपनी को रजिस्टर और अन्य संबंधित कागज-पत्र सौंप देंगे:

(xvi) घोषित परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यदि हो, अभिकरण की वेबसाइट पर अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित करने के तत्काल बाद रखी जाएगी;

परंतु जिन कंपनियो के साम्या शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, इस मामले में कंपनी साथ ही साथ परिणामों संबंधित, स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजों को भी भेजेगी जहां उसके साम्यता शेयर सूचीबद्ध है और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज परिणाम अपनी वेबसाइट पर रखेगें।

(xvii) अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने के अधीन, संकल्प संबंधित साधारण अधिवेशन की तारीख को पारित समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए मतो की अपेक्षित संख्या अधिनियम की धारा 114 के अधीन 'साधारण संकल्प' या 'विशेष संकल्प' के रूप में संकल्प पारित करने के लिए अपेक्षित मत होंगे।

(xviii) इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान से विचार के लिए प्रस्तावित संकल्प को वापस लिया हुआ नहीं माना जाएगा।"

[फा. सं. 01/34/2013-सीएल-V-भाग-II]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 260(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात में सा.का.नि. 415(अ) तारीख 23 जून, 2014 और सा.का.नि. 537(अ) तारीख 24 जुलाई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2015

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by section 108 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—

"20. **Voting though electronic means.—** (1) The provisions of this rule shall apply in respect of the general meetings for which notices are issued on or after the date of commencement of this rule.

(2) Every company other than a company referred to in Chapter XB or Chapter XC of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 having its equity shares listed on a recognised stock exchange or a company having not less than one thousand members, shall provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at general meetings by electronic means.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression—

(i) "agency" means the National Securities Depository Limited, the Central Depository Services (India) Limited or any other entity approved by the Ministry of Corporate Affairs subject to the condition that the National Securities Depository Limited, the Central Depository Services (India) Limited or such other entity has obtained a certificate from the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India including with regard to compliance with parameters specified under Explanation (vi);

(ii) "cut-off date" means a date not earlier than seven days before the date of general meeting for determining the eligibility to vote by electronic means or in the general meeting;

(iii) "cyber security" means protecting information, equipment, devices, computer, computer resource, communication device and information stored therein from unauthorised access, use, disclosures, disruption, modification or destruction;

(iv) ''electronic voting system'' means a secured system based process of display of electronic ballots, recording of votes of the members and the number of votes polled in favour or against, in such a manner that the entire voting exercised by way of electronic means gets registered and counted in an electronic registry in a centralised server with adequate cyber security;

(v) ''remote e-voting'' means the facility of casting votes by a member using an electronic voting system from a place other than venue of a general meeting;

(vi) ''secured system'' means computer hardware, software, and procedure that –

(a) are reasonably secure from unauthorised access and misuse;

(b) provide a reasonable level of reliability and correct operation;

(c) are reasonably suited to performing the intended functions; and

(d) adhere to generally accepted security procedures;

(vii) "voting by electronic means" includes "remote e-voting" and voting at the general meeting through an electronic voting system which may be the same as used for remote e-voting.

(3) A member may exercise his right to vote through voting by electronic means on resolutions referred to in sub-rule (2) and the company shall pass such resolutions in accordance with the provisions of this rule.

(4) A company which provides the facility to its members to exercise voting by electronic means shall comply with the following procedure, namely:—

(i) the notice of the meeting shall be sent to all the members, directors and auditors of the company either—

(a) by registered post or speed post ; or

(b) through electronic means, namely, registered e-mail ID of the recipient; or

(c) by courier service;

(ii) the notice shall also be placed on the website, if any, of the company and of the agency forthwith after it is sent to the members;

(iii) the notice of the meeting shall clearly state—

(A) that the company is providing facility for voting by electronic means and the business may be transacted through such voting;

(B) that the facility for voting, either through electronic voting system or ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting;

(C) that the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again;

(iv) the notice shall —

(A) indicate the process and manner for voting by electronic means ;

(B) indicate the time schedule including the time period during which the votes may be cast by remote e-voting;

(C) provide the details about the login ID;

(D) specify the process and manner for generating or receiving the password and for casting of vote in a secure manner.

(v) the company shall cause a public notice by way of an advertisement to be published, immediately on completion of despatch of notices for the meeting under clause (i) of sub-rule (4) but at least twenty-one days before the date of general meeting, at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated, and having a wide circulation in that district, and at least once in English language in an English newspaper having country-wide circulation, and specifying in the said advertisement, *inter alia*, the following matters, namely:-

(a) statement that the business may be transacted through voting by electronic means ;

(b) the date and time of commencement of remote e-voting;

(c) the date and time of end of remote e-voting;

(d) cut-off date;

(e) the manner in which persons who have acquired shares and become members of the company after the despatch of notice may obtain the login ID and password;

(f) the statement that—

(A) remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;

(B) the manner in which the company shall provide for voting by members present at the meeting; and

(C) a member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and

(D) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting;

(g) website address of the company, if any, and of the agency where notice of the meeting is displayed; and

(h) name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means:

Provided that the public notice shall be placed on the website of the company, if any, and of the agency;

(vi) the facility for remote e-voting shall remain open for not less than three days and shall close at 5.00 p.m. on the date preceding the date of the general meeting;

(vii) during the period when facility for remote e-voting is provided, the members of the company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date, may opt for remote e-voting:

Provided that once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again:

Provided further that a member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again;

(viii) at the end of the remote e-voting period, the facility shall forthwith be blocked:

Provided that if a company opts to provide the same electronic voting system as used during remote e-voting during the general meeting, the said facility shall be in operation till all the resolutions are considered and voted upon in the meeting and may be used for voting only by the members attending the meeting and who have not exercised their right to vote through remote e-voting.

(ix) the Board of Directors shall appoint one or more scrutinisers, who may be Chartered Accountant in practice, Cost Accountant in practice, or Company Secretary in practice or an Advocate, or any other person who is not in employment of the company and is a person of repute who, in the opinion of the Board can scrutinise the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner:

Provided that the scrutinisers so appointed may take assistance of a person who is not in employment of the company and who is well-versed with the electronic voting system;

(x) the scrutiniser shall be willing to be appointed and be available for the purpose of ascertaining the requisite majority;

(xi) the Chairman shall, at the general meeting, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting, as provided in clauses (a) to (h) of sub-rule (1) of rule 21, as applicable, with the assistance of scrutinisers, by use of ballot or polling paper or by using an electronic voting system for all those members who are present at the general meeting but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

(xii) the scrutinisers shall, immediately after the conclusion of voting at the general meeting, first count the votes cast at the meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the company and make, not later than three days of conclusion of the meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same:

Provided that the Chairman or a person authorised by him in writing shall declare the result of the voting forthwith;

Explanation.—It is hereby clarified that the manner in which members have cast their votes, that is, affirming or negating the resolution, shall remain secret and not available to the Chairman, Scrutiniser or any other person till the votes are cast in the meeting.

(xiii) For the purpose of ensuring that members who have cast their votes through remote e-voting do not vote again at the general meeting, the scrutinisers shall have access, after the closure of period for remote e-voting and before the start of general meeting, to details relating to members, such as their names, folios, number of shares held and such other information that the scrutinisers may require, who have cast votes through remote e-voting but not the manner in which they have cast their votes:

(xiv) the scrutinisers shall maintain a register either manually or electronically to record the assent or dissent received, mentioning the particulars of name, address, folio number or client ID of the members, number of shares held by them, nominal value of such shares and whether the shares have differential voting rights;

(xv) the register and all other papers relating to voting by electronic means shall remain in the safe custody of the scrutinisers until the Chairman considers, approves and signs the minutes and thereafter, the scrutinisers shall hand over the register and other related papers to the company.

(xvi) the results declared along with the report of the scrutiniser shall be placed on the website of the company, if any, and on the website of the agency immediately after the result is declared by the Chairman :

Provided that in case of companies whose equity shares are listed on a recognised stock exchange, the company shall, simultaneously, forward the results to the concerned stock exchange or exchanges where its equity shares are listed and such stock exchange or exchanges shall place the results on its or their website.

(xvii) subject to receipt of requisite number of votes, the resolution shall be deemed to be passed on the date of the relevant general meeting.

Explanation.—For the purposes of this clause, the requisite number of votes shall be the votes required to pass the resolution as the 'ordinary resolution' or the 'special resolution', as the case may be, under section 114 of the Act.

(xviii) a resolution proposed to be considered through voting by electronic means shall not be withdrawn."

[F. No. 01/34/2013-CL-V- Part-II]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 260(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 415(E), dated the 23rd June, 2014 and *vide* number G.S.R. 537(E), dated the 24th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.